

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 5, बरेली।

वाद संख्या 2307/2022

सरकार बनाम दिनेश आदि

मु0अ0सं0 132/2021

धारा 498ए, 323, 506 भा0दं0सं0 व

धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली।

आदेश

दिनांक 24.07.2023

प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एप्लीकेशन अन्तर्गत धारा 482 नं० 31734/2022 दिनेश व तीन अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य दिनांक 24.05.2023 के माध्यम से उपरोक्त मुकदमें की कार्यवाही समाप्त करने का आदेश पारित किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उक्त आदेश के अनुपालन की याचना की गयी। इसके समर्थन में दिनेश पुत्र कैलाश चन्द्र निवासी ग्राम उन्नासी, थाना फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली का शपथपत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 24.05.2023 की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.05.2023 का ससम्मान अवलोकन किया।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 24.05.2023 के अनुसार मु०अ०सं० 57/2022 धारा 498ए, 323, 506 भा०दं०सं० सरकार बनाम दिनेश थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली की कार्यवाही समाप्त गयी है। अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उपरोक्त मामले की कार्यवाही प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनेश, मुनीश, श्रीमती ऊषा व कैलाश चन्द्र के विरुद्ध समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(देवेन्द्र कुमार—प्रथम)

ए०सी०जे०एम० कक्ष संख्या 5,

बरेली।